न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57/2020 – निगरानी

जयसिंह पिता कानसिंह उर्फ कन्हैयालाल सौलंकी निवासी माताजी का खेडा, बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. सलीम खां पठान पुत्र मुल्कमीर खां पठान निवासी – बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ़
2. ग्राम पंचायत बनेड़ा पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बनेड़ा पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बनेडा पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बनेड़ा पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा जारी मिसल संख्या 63 संवत् 2038 पटटा जारी दिनांक 01.11.1981

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित –

1. श्री अरूण देराश्री अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.06.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बनेड़ा ग्राम पंचायत बनेडा पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत बनेड़ा द्वारा जरिये मिसल संख्या 63 संवत 2038 के द्वारा जारी पट्टा दिनांक 01/11/1981 जो नपती 50 बाई 50 फीट का जिसके पडौस पूर्व मे पड़त जमीन पंचायत, पश्चिम में पुष्पा पत्नी सत्यनारायण बल्दवा, उत्तर मे समुन्द्र सिंह, दक्षिण मे 25 फीट छोड़कर सांगानेर जाने वाला रोड़ का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी किया गया, जो पट्टा विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 को जारी गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा 50 बाई 50 फीट के क्षेत्रफल का निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकारी नही था व निःशुल्क पट्टा जारी होने पर 02 वर्ष के

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

भीतर– 2 निर्माण कार्य करवाना चाहिये, लेकिन आज दिन तक कोई निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है। गैर निगरकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 को तथाकथित पट्टा निगराकार के मकान के सामने जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी पाईप लाईन व निगराकार के मकान के सामने जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी सर्विस लाईन है एवं रास्ता है, की जगह जो निगराकार के उपयोग उपभोग की भूमि पर जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व है। गैर निगराकार संख्या 01 एक को भूखण्ड पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति पेश करने हेतु सूचनापत्र जारी करना था, जो नहीं किया गया और विधि विरूद्व मनमकसूद तरीके से पट्टा जारी किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत बनेड़ा के सचिव द्वारा नियम 257, 258 की कोई पालना नहीं की गयी ओर नियम 259 के तहत पट्टा जारी कर विधि विरूद्व निर्णय लिया, जो अनाधिकृत होकर निरस्त होने योग्य है। उक्त तथाकथित फर्जी पट्टे की आड़ में गैर निगराकार संख्या 01 एक उक्त भूखण्डो की आड मे माह अक्टूम्बर 2015 में निगराकार के मकान के सामने अवैध निर्माण करने पर आमादा हो गया व इसके पश्चात निगराकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत उक्त पट्टे की नकल चाही लेकिन तृतीय पक्षकार को पट्टे की प्रति देने से इंकार कर नकल नहीं दी व लोक सूचना गारण्टी के तहत भी सूचना मांगी गयी, लेकिन कोई सूचना नही दी गयी व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड– शाहपुरा से भी सूचना मांगी गयी, लेकिन उनके द्वारा जो जलदाय विभाग की प्रतियां दी गयी जो कटी–फटी दी गयी। उक्त पट्टे की मूल मिसल जो कि गैर निगराकारान के कब्जे मे है, जो गैर निगराकारान से तलब फरमाया जाना आवश्यक है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में मिसल संख्या 63 संवत 2038 पट्टा जारी दिनांक 01/11/1981 के जारी पट्टे को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 26.04.2017 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये पक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

दिनांक 27.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। निगरानी दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध की गयी। विपक्षीगण संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार संख्या 01 को जारी गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा 50 बाई 50 फीट के क्षेत्रफल का निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकारी नही था व निःशुल्क पट्टा जारी होने पर 02 वर्ष के भीतर– 2 निर्माण कार्य करवाना चाहिये, लेकिन आज दिन तक कोई निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है। गैर निगरकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 को तथाकथित पट्टा निगराकार के मकान के सामने जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी पाईप लाईन व निगराकार के मकान के सामने जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी सर्विस लाईन है एवं रास्ता है, की जगह जो निगराकार के उपयोग उपभोग की भूमि पर जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व है। गैर निगराकार संख्या 01 एक को भूखण्ड पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति पेश करने हेतु सूचनापत्र जारी करना था, जो नहीं किया गया और विधि विरूद्व मनमकसूद तरीके से पट्टा जारी किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत बनेड़ा के सचिव द्वारा नियम 257, 258 की कोई पालना नहीं की गयी ओर नियम 259 के तहत पट्टा जारी कर विधि विरूद्व निर्णय लिया, जो अनाधिकृत होकर निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में मिसल संख्या 63 संवत 2038 पट्टा जारी दिनांक 01/11/1981 के जारी पट्टे को निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बनेडा पंचायत बनेडा पंचायत समिति बनेडा तहसील बनेडा में जरिये मिसल संख्या 63 संवत 2038 के द्वारा जारी पट्टा दिनांक 01.11.1981 जो नपती 50 बाई 50 फीट का जिसके पडौस निम्न प्रकार से है पूर्व मे पडत जमीन पंचायत, पश्चिम में पुष्पा पत्नी सत्यनारायण बल्दवा, उत्तर में समुन्द्र सिंह, दक्षिण में 25 फीट छोडकर सांगानेर जाने वाला रोड़, उक्त चारो पडौसो के मध्य

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मे अंकित किया कि गैर निगराकार सख्या 01 को पटटा जारी करने से पूर्व, ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति सूचना पत्र जारी नही किया गया। न ही ग्राम पंचायत द्वारा नियम 257, 258 की कोई पालना नही की गयी।

इस संबंध में यह है कि निगराकार ने पटटे की मिसल पत्रावली के अभाव में निगराकार ने ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व, आपत्ति सूचना प्रकाशित करायी गयी या नही करायी गयी, ऐसा कथन व्यक्त किया जो निराधार प्रतीत होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ने नियम 257, 258 की किस प्रकार से अवहेलना की हैं, निगराकार ने कोई स्पष्ट कारण व तथ्य नही पेश किये हैं। निगराकार ने मात्र जलदाय विभाग की पाईप लाईन डाले के प्रश्न पर उक्त प्रश्नगत पटटे को अवैध ठहराते हुये पटटा खारिज कराने हेतु उक्त निगरानी पेश की हैं जो बिना किसी आधार के एवं पटटा पत्रावली के अभाव में पेश की है जो निगरानी खारिज योग्य ठहरती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बनेडा पंचायत समिति बनेडा जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)